रजिस्ट्री सं. डी. (डी एन.)-127 REGISTERED NO D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 281] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 14, 1990/कार्तिक 23, 1912
No. 281] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 14, 1990/KARTIKA 23, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(आयात व्यापार नियंत्रण)

सार्वजनिक सूचना सं. 88 आई टी सी (पी एन)/90-93

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 1990

विषय :– आयात-निर्यात नीति अप्रैल, 1990—मार्च, 1993

फा.सं. 6/140/90-ईपी सी :–वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. -1 आई टी सी (पी एन)/90-93 दिनांक 30 मार्च, 1990 के अन्तर्गत प्रकाशित यथासंशोधित आयात-निर्यात नीति अप्रैल, 1990—मार्च 1993 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

2. उक्त नीति में निम्नलिखित संशोधन नीचे उल्लिखित उचित स्थानों पर किए जाएंगे :-

क्रम सं.	आयात-निर्यात नीति 1990-93 (खण्ड-1) की पृष्ठ सं	सन्दर्भ	संशोधन
1	2	3	4
1	308	परिशिष्ट-13-ब उन मदों की भी सूची जिनके लिए डी ई ई सी स्कीम के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति सामग्री के निशुल्क निपटान की सुविधा अनुज्ञेय नहीं होगी क्रम संख्या 13	इस क्रम संख्या के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :- "14 पेंटिसिलिन-जी"

3. वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 2 आई टी सी (पी एन)/90-93, दिनांक 30 मार्च, 1990 के अधीन प्रकाशित अप्रैल, 1990-93 (खण्ड-1) के लिए यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

4. उक्त पुस्तक में निम्नलिखित संशोधन नीचे उल्लिखित उचित स्थानों पर किए जाएंगे :-

क्रम सं.	प्रक्रिया पुस्तक 1990-93 (खण्ड-1) की पृष्ठ सं	सन्दर्भ	संशोधन
1	2	3	4
1	74	अध्याय-19 शुल्क छूट योजना परवर्ती लाइसेंस जारी करना पैरा 341	वर्तमान पैरा 341(1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा : "341. द्वितीय अथवा परवर्ती लाइसेंस को जारी करने के आवेदनों को तब तक स्वीकार किया जाता रहेगा जब तक कि आवेदक को ऐसे किसी निर्यात आधार के संबंध में चूककर्ता घोषित न किया गया हो जिसके लिए वह पहले से बचनबद्ध हो ।

5. उपर्युक्त संशोधन लोकहित में जारी किए गए हैं ।

तेजेन्द्र खन्ना, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

(Import Trade Control)

PUBLIC NOTICE No. 88—ITC(PN)/90-93

New Delhi, the 14th November, 1990

Subject : Import & Export Policy for April, 1990—March, 1993

F.No. 6/140/90-EPC:—Attention is invited to the Import & Export Policy for April, 1990—March, 1993., published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 1-ITC(PN)/90-93 dated the 30th March, 1990, as amended.

2. The following amendments shall be made in the Policy at appropriate places indicated below:—

Sl. No.	Page No. of Import & Export Policy, 1990-93 (Volume-I)	Reference	Amendment
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	308	Appendix 13-F List of items for which facility of free disposal of replenished materials will not be admissible under the DEEC Scheme. Sl. No. 13	After this Sl. No. the following shall be added: "14. Penicillin-G".

3. Attention is also invited to the Hand Book of Procedures, 1990-93 (Vol. I), published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 2-ITC (PN)/90-93 dated the 30th March, 1990, as amended.

4. The following amendments shall be made in the said Hand Book at appropriate places indicated below:—

Sl. No.	Page No. of the Hand Book of Procedures, 1990-93 (Vol. I)	Reference	Amendment
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	74	Chapter-XIX Duty Exemption Scheme, Issue of subsequent licence Para 341	The existing Para 341(1) &(2) shall be substituted by the following:— "341. Request for issue of a second or subsequent licence will be entertained, as long as the applicant has not been declared a defaulter in respect of any export obligation already undertaken by him".

The above amendments have been made in public interest.

TEJENDRA KHANNA, Chief Controller of Imports & Exports

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990